

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2006

क्र. 2312-तेह-2006.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 171 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 180 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खण्ड (द) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विद्युत् (नोटिस, आदेश तथा दस्तावेज के तामील की रीति) नियम, 2006 है.

(2) ये "मध्यप्रदेश राजपत्र" में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

(3) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होगा, जो विद्युत् अधिनियम, 2003 में उनके लिये दिया गया है.

2. सूचना, आदेश या दस्तावेज के तामील की रीति.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के उपबंधों के अधीन परिसर के किसी भी व्यक्ति या स्वामी या अधिभोगी को संबोधित किए जाने के लिए अपेक्षित या प्राधिकृत प्रत्येक नोटिस, आदेश या दस्तावेज निम्नलिखित रीति में तामील किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(1) प्रेषित्री द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित प्रार्थना के रूप में कूरियर या अभिस्वीकृति सहित रजिस्टर्ड पोस्टल सेवा के माध्यम से परिदान (डिलीवरी) द्वारा.

(2) स्वामी या अधिभोगी जिसे नोटिस, आदेश या दस्तावेज तामील किया जाना है, की अनुपस्थिति में या लेने से इंकार करने पर, परिसर या व्यक्ति का विवरण देते हुए, उसे परिसर के सहजदृश्य भाग में, दो साक्षियों की उपस्थिति में चप्पा करके.

(3) प्रेषित्री के या व्यक्ति के रहने या कारबार के सामान्य या अंतिम ज्ञात स्थान के क्षेत्र में परिचालन वाले समाचार-पत्र में प्रकाशन द्वारा.

Bhopal, the 7th April 2006

No. 2312-XIII-2006.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) and clause (n) of sub-section (2) of Section 180 read with the sub-section (1) of Section 171 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the State Government hereby, makes the following Rules namely :—

RULES

1. Short Title and commencement.—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Electricity (Manner of Service of Notice, Order and Documents) Rules, 2006.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

(3) Word and expressions used but not defined in these rules shall have the same meanings as assigned to them in the Electricity Act, 2003.

2. Manner of Service of Notice, Order or Document.—Every notice, order or documents under the provisions of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) required or authorized to be addressed to any person or owner or occupant of the premises may be served in the following manner, namely :—

(i) By delivery through courier or Registered Postal Service with acknowledgement by way of written receipt duly signed by addressee.

(ii) By giving description of the premises or person, affixing it on the conspicuous part of the premises in the presence of two witnesses, in the absence of or if the owner or occupant denies to receive the notice, order or documents to whom these served.

(iii) By publication in the news paper having circulations in the area of addressee, or of the usual or last known place of abode or the business of the person.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. बी. अग्रवाल, अपर सचिव.